बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
अधिसूचना

अधि0सं0–5/अ0प्र0–02–01/2020 9177 पटना/दिनांक 26.8.25

ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत 28 प्रतिशत कोटा के तहत डिप्लोमाधारी कनीय अभियंता (असैनिक) से सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर प्रोन्नति के निमित्त दिनांक 11.06.2018 को विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की आहूत बैठक में श्री लाल मोहन शर्मा, तदेन कनीय अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के कारण निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफा में रक्षित कर दिया गया।

2. श्री लाल मोहन शर्मा द्वारा कनीय अभियंता से सहायक अभियंता में प्रोन्नति दिये जाने हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–16913/2019 (लाल मोहन शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2019 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"9. In such circumstance, the action of the respondents in refusing to allow the petitioner promotion to the rank of Assistant Engineer is held to be highly arbitrary and unreasonable.

10. The respondents are directed to allow the petitioner promotion to the rank fo Assistant Engineer, at least, with effect from the date his juniors have been given such promotion on the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee in question, within a period of one month from the date of receipt/production of a copy of this order. I have consciously passed this order directing the respondents to promote the petioner to the post of Assistant Engineer in view of uncontroverted and admitted facts, particularly, the fact that the persons junior to the petitioner have been allowed promotion.

11. This writ application is, accordingly, allowed with a cost of Rs. 5,000/- to be paid to the petitioner within three months form today."

3. उपरोक्त न्यायादेश के आलोक में श्री शर्मा द्वारा प्रोन्नति के लाभ हेतु दिनांक 23.10.2019 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री शर्मा कनीय अभियंता के पद से दिनांक 30.11.2019 को सेवानिवृत्त हो गये।

4. श्री शर्मा के प्रोन्नति से संबंधित मुहरबंद लिफाफा को विभागीय सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 26.11.2019 को खोला गया, जिसमें वे प्रोन्नति के योग्य पाये गये।

5. श्री शर्मा को सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति हेतु अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 5066 दिनांक 11.04.2019 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श प्राप्त करने का निर्णय दिनांक 26.11.2019 को सम्पन्न बैठक में लिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि CWJC No.-16913/2019, लाल मोहन शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश एकल पीठ का है, जबकि एम0जे0सी0 संख्या–2847 / 2018, अरबिन्द कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित आदेश खण्डपीठ का है। इसके बावजूद प्रशासी विभाग विवेचित प्रोन्नति प्रदान करने के इच्छुक हों, तो माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम0जे0सी0 संख्या–2847 / 2018, अरबिन्द कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 01.04.2019 को पारित आदेश के अनुरूप प्रशासी विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त कर प्रोन्नति देने की कार्रवाई की जा सकती है।

6. माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में Civil Review दायर किये जाने के निमित्त विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

"In my considered opinion, there is no justification in seeking review of the writ Court Order dated 14.10.2019 as I apprehend that the Hon'ble Single Judge may enhance the Cost in case review is filed."

7. CWJC No.- 16913/2019 में पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं होने के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा एम0जे0सी0 संख्या–48 / 2020 दायर किया गया। इसी क्रम में श्री शर्मा द्वारा Rejoinder भी दायर किया गया, जिसमें कहा गया है कि इनके उपर संचालित विभागीय कार्यवाही दिनांक 06.02.2019 को समाप्त हो गया है। प्रोन्नति पर रोक सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 5066 दिनांक 11.04.2019 के द्वारा लगाया गया है। यह रोक लगने के पूर्व ही अर्थात् दिनांक 06.02.2019 से 10.04.2019 तक वे प्रोन्नति हेतु योग्य थे। इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग का उक्त आदेश उनके ऊपर लागू नहीं होता है।

8. CWJC No.- 16913/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के बिन्दु पर विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

"The direction of writ court needs to be complied. There is another ground also. Petitioner's case was condidered by DPC, but as a proceeding was pending he was not recommended for promotion. However, in the proceeding he was exonerated on 06.02.2018. Thus he become eligibile to be promoted immediately on his exoneration. These events are much before order of Hon'ble Supreme Court. Hence in my considered view direction of writ court cannot be put on hold because of interim order of Hon'ble Supreme Court."

9. विद्वान महाधिवक्ता का उक्त परामर्श एवं वर्णित स्थिति के आलोक में CWJC No.- 16913/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति के फलस्वरूप मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0–1093 दिनांक 20.11.2018 में निहित्त प्रावधान के तहत उक्त वाद में पारित न्यायादेश के अनुपालन के बिन्दु पर मामले को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखे जाने हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त की गयी।

10. तदोपरांत विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा मामले को समिति के समक्ष रखे जाने की सहमति प्रदान करते हुए दिनांक 07.08.2025 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही में समिति का निर्णय निम्नवत है:–

"समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत CWJC No.- 16913/2019 (लाल मोहन शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ श्री लाल मोहन शर्मा को भूतलक्षी प्रभाव से सहायक अभियंता के पद पर उनसे कनीय को देय प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है। यह याचिकाकर्त्ता के संदर्भ में ही प्रभावी होगा एवं इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।"

11. उक्त के आलोक में श्री लाल मोहन शर्मा, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, सम्प्रति सेवानिवृत्त को सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर (अपुनरीक्षित वेतन–पी0बी0–2 + ग्रेड पे 5400 पुनरीक्षित Pay Matrix लेवल–9 रूपये 53100–93000) उनसे कनीय को देय प्रोन्नति की तिथि 29.06.2018 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

12. अतः उपर्युक्त के आलोक में श्री लाल मोहन शर्मा, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, सम्प्रति सेवानिवृत्त (वरीयता क्रमांक–96/2017) को सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर (अपुनरीक्षित वेतन–पी0बी0–2 + ग्रेड पे 5400 पुनरीक्षित Pay Matrix लेवल–9 रूपये 53100–93000) उनसे कनीय को देय प्रोन्नति की तिथि 29.06.2018 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अभय झा) 26/08/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–5/अ0प्र0–02–01/2020– 9178 पटना/दिनांक– 26.8.25

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

26/08/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–05 / अ0प्र0–02–01 / 2020– 9178 पटना / दिनांक– 26.8.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–05 / अ0प्र0–02–01 / 2020– 9178 पटना / दिनांक– 26.8.25

प्रतिलिपिः–संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी / सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–05 / अ0प्र0–02–01 / 2020– 9178 पटना / दिनांक– 26.8.25

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / योजना एवं विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / विशेष सचिव के आप्त सचिव / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव / अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव / सभी मुख्य अभियंता / संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी / श्री लाल मोहन शर्मा, तदेन कनीय अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त, पत्राचार पता–ग्राम–बड़ी कोपा, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना, पिनकोड–801109 एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव